

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-09/2020

वादीगण -

1. प्रेमलता गौड़ पत्नी स्व. भंवरलाल
 2. चेनाराम गौड़ पुत्र शोभाराम
 3. लीलाधर गौड़ पुत्र शोभाराम
 4. उमाशंकर गौड़ पुत्र शोभाराम
 5. पन्नालाल गौड़ पुत्र शोभाराम
- जातियान-ब्राहमण निवासीगण-अड़वड़, तहसील-जायल (नागौर)


बनाम

प्रतिवादीगण -

1. शोभाराम पुत्र रामपाल, जाति-ब्राहमण, निवासी-अड़वड़ तहसील-जायल ।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला-नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 02 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम-1955

- : : प्राथमिक डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री एस.एस. कालवी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व राजपैरोकार प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 मौके पर पक्षकारान् की अनुपस्थिति, तथा वादीगण संख्या 2 से 5 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 शोभाराम द्वारा जिवित बंटवाड़े पर असहमति के कारण मौजा अड़वड़ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 612, 613, 622, 625, 965/214, 966/624 तथा मौजा ईग्यार का खेत खसरा नंबर 94 की भूमि के विभाजन बाबत वाद पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल (नागौर)